कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर।

मानसिक स्वास्थय देखरेख अधिनियम–2017 के अध्याय XI की धारा–73 की उपधारा–1 के तहत प्रदर्श शक्ति और बिहार मानसिक स्वास्थय देखरेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम–2023 के अध्याय–VII की धारा–34 के तहत उल्लेखित शक्ति के साथ राज्य प्राधिकरण के मुंगेर प्रमंडल में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन किया जाना है।

उक्त धारा के नियम–35 के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड में शामिल होगें:–

(क) मुंगेर के जिला न्यायाधीश बोर्ड के अध्यक्ष होंगें।
(ख) मुंगेर जिला के जिला पदाधिकारी।
(ग) मुंगेर के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (N.M.H.P.)के तहत भर्ती किये गये मनोचिकित्सक, और यदि उपलब्ध नहीं रहने पर मुंगेर में स्थित मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख।
(घ) मुंगेर के सिविल सर्जन मेडिकल प्रैक्टिसनर होंगें।
(ड) दो सदस्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति या देखभाल करने वाले या मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित होंगें। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में कंडिका ''ड़'' में वर्णित दो सदस्यों को नामित करने हेतु निम्न अतिरिक्त अहर्ता निर्धारित है।

01. भारत का नागरिक हो,
02. किसी भी न्यायालय से दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो,
03. कोई भी आपराधिक मुकदमा में लंबित नहीं हुआ हो।

कंडिका ''ड़'' में वर्णित दो सदस्यों को नामित करने हेतु सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपना वायो–डाटा ई–मेल के माध्यम से dj.munger-bih@gov.in के पर या पोस्टल/दस्ती के माध्यम से निम्न पते पर दिनांक 17.01.2024 तक भेज सकते हैं।

पताः–

01. प्रभारी न्यायाधीश, प्रशासन, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर।
    पोस्ट–मुख्य डाकघर, पिन कोड–811201

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर।